229/XV. 05-08-2020

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

जिलाधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक संख्या 5118/आ0लि0-1/2020 दिनांकित **05-08-2020** के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर की आख्या के अनुसार मुहल्ला नवापुरा एवं नवापुरा कचहरी रोड, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर मुहल्ले में पाजिटिव व्यक्ति के स्वैब की तिथि से 14 दिन की अवधि पूर्ण के पश्चात हाटस्पाट/ कंटेनमेंट जोन से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यालय के आदेश संख्या 5109/आ0लि0-1/2020 दिनांकित **01-08-2020** द्वारा मुहल्ला नवापुरा एवं नवापुरा कचहरी रोड, थाना कोतवाली गाजीपुर को शासन की अद्यतन गाइड लाइन के अनुसार 100 मीटर की परिधि में लागू हाटस्पाट मुक्त कर दिया गया है। विद्यमान परिस्थितियों में जनपद न्यायालय, गाजीपुर परिसर हाटस्पाट/कंटेनमेंट जोन की परिधि से बाहर है।

तद्नुसार जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यालय गाजीपुर स्थित जनपद न्यायालय अब कंटेनमेंट जोन में नहीं है। चूँकि जिलाधिकारी गाजीपुर की उक्त आख्या आज दिनांक 05-08-2020 को न्यायालय खुलने के समय के पश्चात पूर्वान्ह 11-30 बजे प्राप्त हुआ है। अतएव ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाबाद द्वारा पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के माध्यम से जारी गाईडलाइन के आलोक में मुख्यालय स्थित जनपद न्यायालय गाजीपुर दिनांक 06-08-2020 से नियमित कार्य हेतु खुलेंगे।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षित किया जाता है कि प्रतिदिन जनपद न्यायालय, गाजीपुर को सेनेटाईज कराना व न्यायालय परिसर में आनेवाले व्यक्तियों की थर्मल स्केनिंग कराते हुए दिन प्रतिदिन की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए।

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रषित की वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उक्त के बाबत सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी प्रेषित हो।

5/8/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनांक : अगस्त 05, 2020

Scanned with CamScanner